UPGK010054992026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या- 01, गोरखपुर।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या- 2428/2026

पिंकी निषाद पुत्री रामसवारे निषाद, निवासी ग्राम- नेवास, थाना- सहजनवां, जिला- गोरखपुर। .....**आवेदिका/अभियुक्ता**

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....**विपक्षी**

मु०अ०सं०- 257/2026
अंतर्गत धारा- 80(2), 85 B.N.S. व धारा- 3/4 D.P.Act
थाना- सहजनवां, जनपद-गोरखपुर।

दिनांक- 12.06.2026

आवेदिका/अभियुक्ता द्वारा यह जमानत प्रार्थना पत्र मु०अ०सं०- 257/2026, अंतर्गत धारा- 80(2), 85 B.N.S. व धारा- 3/4 D.P.Act, थाना- सहजनवां, जनपद-गोरखपुर के मामले में प्रस्तुत किया गया है, जो शपथ पत्र से समर्थित है।

जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि अभियुक्ता का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है तथा उसका कोई भी जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य न्यायालय के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादिनी ने अपनी पुत्री चांदनी उम्र करीब 19 वर्ष की शादी काफी दहेज देकर ग्राम नेवास थाना सहजनवां क्षेत्र में हरिशंकर निषाद से करीब एक वर्ष पूर्व किया था। जब से वादिनी की बेटी अपने ससुराल आयी थी तबसे उसके ससुराल वाले हरिशंकर (पति), पिंकी निषाद (ननद) व शोभा देवी (सास) मिलकर प्रताड़ित करने लगे तथा दहेज की मांग करने लगे। दिनांक 22.05.2026 को भी वादिनी की बेटी को उसके पति ने काफी मारा पीटा था और कहा कि अपने घरवालों से रूपया मांगो नहीं तो जान से मार देंगे। दिनांक 23.05.2026 को सांय करीब तीन बजे वादिनी को सूचना मिली की उसकी चांदनी को उसके ससुराल वाले हरिशंकर, पिंकी व शोभा देवी ने मिलकर दहेज के लालच में मार डाला है।

आवेदिका/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया है कि प्रार्थिनी पूर्णतया निर्दोष है, उसने कोई भी जुर्म नहीं किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं अभियोजन पक्ष द्वारा संकलित साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादिनी की हैसियत न तो दहेज देने की थी और न ही प्रार्थिनी के परिवार की हैसियत दहेज लेने की ही थी। प्रार्थिनी का परिवार एवं वादिनी का परिवार आपस में

पुरानी रिश्तेदारी में था और दोनो परिवार अत्यन्त निर्धन था। वादिनी के पति भी जिवित नही थे। प्रार्थिनी का लड़का शुद्ध रूप से अशिक्षित था और मेहनत मजदूरी करने वाला व्यक्ति था इसलिये वादिनी की लड़की चॉदनी की शादी बिना किसी दान दहेज के पूर्ण रूप से दहेज रहित हुयी थी। वादिनी द्वारा दहेज में क्या दिया गया था इसका भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है और न ही प्रार्थिनी एवं प्रार्थिनी के परिवार वालो द्वारा दहेज में कितने रूपये की मांग की गयी इसका भी कोई उल्लेख किया गया। यदि वास्तव में वादिनी की लड़की मृतका से दहेज में रूपये की मांग की जाती तो निश्चित ही कितना रूपया दहेज में मांगा गया और कितना रूपया दहेज में दिया गया था इसका उल्लेख अवश्य ही प्रथम सूचना रिपोर्ट में किया जाता। प्रार्थिनी के विरूद्ध इस बात का कोई आरोप नहीं लगाया गया है कि प्रार्थिनी द्वारा वादिनी की लड़की मृतका चाँदनी से कभी दहेज की मांग की गयी हो और दहेज के लिये मारा पीटा व प्रताडित किया गया हो। वादिनी मुकदमा की लडकी मृतका चाँदनी की मृत्यु मारने पीटने से नहीं हुयी है बल्कि अपने कमरे में फासी लगाकर आत्महत्या करने के कारण हुयी है। वादिनी मुकदमा की लड़की मृतका चाँदनी जिस समय अपने घर में फासी लगाकर आत्महत्या की उस समय प्रार्थिनी घर पर नहीं थी बल्कि एक माह पूर्व से ही अपने ननिहाल में अपने नाना मुंशी निषाद के घर ग्राम-ढोढया थाना मेहदावल जनपद संतकबीर नगर गयी थी तथा प्रार्थिनी की मां मृतका की दवा लेने निबियहवा चौराहा पर डाक्टर बंगाली के वहां गयी थी। प्रार्थिनी का भाई ग्राम बडगो में मजदूरी करने गया था। प्रार्थिनी की मां जब निबियहवा चौराहे से डाक्टर बंगाली के वहां से दवा लेकर घर वापस आयी तब मृतका चाँदनी का कमरा खोलवाने के लिये आवाज दी जिस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आयी और फाटक नहीं खुला तब प्रार्थिनी की मां द्वारा शोर मचाया गया और ग्राम प्रधान व ग्रामवासी उपस्थित हुये और तत्काल पुलिस को सूचना दी गयी जिस पर थाना सहजनवा की पुलिस आयी और पुलिस की देख रेख में फाटक तोड़कर वादिनी की लड़की के शव को फासी के फन्दे से उतारा गया। वास्तविकता यह है कि वादिनी की लड़की मृतका चाँदनी एक मनबढ़ किस्म की महिला थी जो बिना बताये घर छोड़कर अपने मायके अथवा रिश्तेदारी में चली जाती थी जिसकी शिकायत प्रार्थिनी के भाई व मां द्वारा वादिनी से की गयी तो वह लोग भी अपनी लड़की का ही समर्थन करने लगे। प्रार्थिनी के घरवालो द्वारा इस मनबढई पर प्रतिबंध लगाने के कारण वादिनी की लड़की चांदनी द्वारा फासी लगाकर आत्महत्या कर ली। प्रार्थिनी को मात्र मृतका चाँदनी की अविवाहित ननद होने के कारण उक्त मुकदमे में अभियुक्त बना दिया गया है। प्रार्थिनी का उक्त घटना से कोई वास्ता सरोकार नहीं है। उपरोक्त के आधार पर आवेदिका/ अभियुक्ता को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का कड़ा विरोध करते हुए कथन किया गया है कि आवेदिका/अभियुक्ता द्वारा सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादिनी मुकदमा की पुत्री को अतिरिक्त दहेज हेतु प्रताड़ित किया गया एवं दहेज की पूर्ति ने होने

पर उसकी दहेज हत्या कर दी गयी। अभियुक्ता द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः आवेदिका/ अभियुक्ता द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

जमानत प्रार्थना-पत्र पर अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना एवं समस्त सुसंगत प्रपत्रों का परिशीलन किया।

प्रस्तुत प्रकरण में आवेदिका/अभियुक्ता के विरूद्ध मुख्य रूप से सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादिनी मुकदमा की पुत्री चांदनी को अतिरिक्त दहेज हेतु शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करने एवं दहेज की पूर्ति न होने पर उसकी दहेज हत्या कारित करने का अभियोग है। आवेदिका/ अभियुक्ता प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्ता है। केस डायरी में अंकित साक्षीगण के बयान के अनुसार आवेदिका/अभियुक्ता द्वारा सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर मृतका को दहेज लाने की बात को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने एवं अतिरिक्त दहेज में एक लाख रूपये की मांग किया जाना कहा गया है। समय साक्षी के अनुसार भी आवेदिका/अभियुक्ता द्वारा मृतका को शारीरिक व मानसिक रूप से इतना आतंकित व भयभीत कर दिया जाना कहा गया है कि जिससे उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली गयी। मामले की विवेचना प्रचलित है। मृतका की शवविच्छेदन आख्या के अनुसार उसकी मृतका की मृत्यु मृत्युपूर्व लटकने से दम घुटने के कारण होना बताया गया है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा अभिकथित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना आवेदिका/अभियुक्ता को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। तद्नुसार जमानत प्रार्थना-पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदिका/अभियुक्ता पिंकी निषाद द्वारा मु०अ०सं०- 257/2026, अंतर्गत धारा- 80(2), 85 B.N.S. व धारा- 3/4 D.P.Act, थाना-सहजनवां, जनपद-गोरखपुर के मामले में प्रस्तुत उपरोक्त जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक-12.06.2026

(उमेश चन्द्र पाण्डेय-II)
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या- 01,
गोरखपुर।
JO Code - UP 6066

Digitally signed by UMESH CHANDRA PANDEY
Date: 2026.06.12 15:36:11 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court